मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण

(म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन)

खण्ड–2, पंचम तल, पर्यावास भवन, भोपाल

विज्ञापन संख्या

प्रतिनियुक्ति पर पद स्थापना/संविदा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक जानकारियाँ एवं शर्ते

––00––

1. प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक आवेदन पत्र स्वीकार किए जावेंगे।
2. इस प्राधिकरण की वेबसाईट www.mprrda.com पर उपलब्ध आवेदन पत्र का प्रारूप ही मान्य होगा। आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त वेबसाईट से प्राप्त किया जा सकता है।
3. आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए जिसमें पद नाम, पद कोड क्रंमाक, **प्रतिनियुक्ति** या **संविदा** तथा **पद का वर्गीकरण** आवश्यक रूप से लिखा होना चाहिए।
4. उम्मीदवार/आवेदक की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित है। उम्मीदवार/आवेदक की आयु एवं अनुभव की गणना दिनांक 01/01/2011 की स्थिति में की जावेगी।
5. सेवा निवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के मामले में न्यूनतम अनुभव का बन्धन नहीं रहेगा।
6. इस प्राधिकरण को कोई भी/सभी आवेदनों को अमान्य करने का अधिकार होगा।
7. संविदा पर उपरोक्त पदों हेतु प्रथमतः एक वर्ष की समयावधि के लिये नियुक्त की जावेगी किन्तु आवश्यकता होने पर इसमें वृद्धि की जा सकेगी।

8. संविदा नियुक्ति हेतु चयन सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी तैयार की जाएगी जिसका उपयोग आगामी एक वर्ष में होने वाली रिक्तियों की पूर्ति के लिये किया जाएगा।
9. आवेदित पद की शर्तों के अनुसार सभी प्रकार के प्रमाण पत्रों की छायाप्रति संलग्न होना आवश्यक है।
10. जिन पदों पर प्रतिनियुक्ति एवं संविदा नियुक्ति इन दोनों तरीकों से संयोजन किया जाना है उनमें इन तरीकों से संयोजित किये जाने वाले, इस विज्ञापन में निर्धारित पदों की संख्या में कमी या वृद्धि, आवश्यकतानुसार की जा सकेगी।
11. आवश्यकतानुसार साधिकार–समिति से अनुमोदन प्राप्त कर नये पदों का सृजन, वर्तमान पदों की संख्या में बढ़ोतरी अथवा कटौती तथा पदों की समाप्ति की जा सकती है।
12. कार्यावधि में मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 लागू होंगे।
13. उपरोक्त पदों पर पदस्थापना म0प्र0 राज्य के मुख्यालय भोपाल एवं जिला मुख्यालयों इत्यादि में की जा सकेगी।

प्रतिनियुक्ति

14. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापना हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र अपने मूल विभाग/उपक्रम/मण्डल/आयोग के माध्यम से प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
15. प्रतिनियुक्ति की स्थिति में, मूल विभाग में देय वेतनमान के अनुसार ही मासिक वेतन देय होगा।
16. जिन विभागों से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर लिये जावेंगे, उन विभागों में तत्संबंधी पद स्थगित (In abeyance) रखे जावेंगे एवं सम्बन्धित आधिकारियों/कर्मचारियों का धारणाधिकार अपने मूल विभाग में बना रहेगा।

संविदा

17. ★ संविदा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा साधारणतः यद्यपि 35 वर्ष होगी किन्तु विभिन्न वर्गो के उम्मीदवारों के लिये इस सीमा में, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के ज्ञापन क्र. सी–3–5/2001/3/1 दिनांक 17/08/2004 में दर्शित आयु सीमायें प्रभावशील होगी।

18. म0प्र0 सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विषेश उपबन्ध) नियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार संविदा से भरे जाने वाल पदों में महिलाओं के लिए आरक्षण समस्तर एवं प्रभागवार रहेगा।
19. दृष्टि बाधित बधिर एवं विकलागों के लिए संविदा से भरे जाने वाले पदों में म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विहित निर्देशों के अनुरूप प्रावधान रहेगा।
20. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस हेतु समय–समय पर जारी किये गये निर्देश प्रभावशील होगें।
21. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी को कार्यभार ग्रहण करते समय मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का मूल चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं सेवा निवृत्ति का आदेश/अंतिम वेतन तथा पेंशन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
22. संविदा अवधि पूर्ण होने के उपरांत कार्य कुशलता एवं किये गये कार्य में मूल्यांकन के आधार पर यदि आवश्यक हुआ तो आगामी वर्ष के लिए संविदा नियुक्ति बढ़ाने पर विचार किया जा सकेगा।
23. संविदा पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी भविष्य में नियमितीकरण संबंधी कोई दावा नहीं कर सकेगा।
24. संविदा नियुक्ति पर नियुक्त कर्मचारी की सेवायें निर्धारित अवधि के पूर्व संस्था द्वारा बिना किसी नोटिस के समाप्त की जा सकेगी।
25. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी एक माह का पूर्व नोटिस देकर अथवा एक माह का पारिश्रमिक नगद जमा कर त्याग पत्र दे सकता है।
26. संविदा पर नियुक्त अभ्यार्थी सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/निर्देश के कोई भी सूचना/जानकारी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अन्य विभाग को किसी भी माध्यम से नहीं देगा, तथा कार्यालयीन गोपनीयता भंग नहीं करेगा।
27. कार्यालय में संविदा सेवा अवधि के दौरान अन्य किसी भी प्रकार के संस्थाओं/कार्यालयों में कार्य करने अथवा व्यक्तिगत तौर पर किसी भी प्रकार के व्यापार करने पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

28. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को समय–समय पर सौंपे गये अन्य समस्त कार्यालयीन कार्य भी संपादित करने होंगे।
29. मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर संविदा नियुक्ति के संबंध में जारी आदेश/संशोधन इस नियुक्ति पर भी लागू/बंधनकारी होंगे।
30. संविदा नियुक्ति आदेश दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
31. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को विभाग की आवश्यकता होने पर आधारभूत एवं जाब से संबंधित प्रशिक्षण एवं आयोजित परीक्षा में अनिवार्यतः भाग लेना होगा। प्रशिक्षण अवधि में आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं होने पर संविदा सेवायें समाप्त की जावेगी।
32. संविदा नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक योग्यता/अनुभव संबंधी प्रमाण पत्र यदि झूठा अथवा गलत पाया जाता है तो यह नियुक्ति तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी ।
33. संविदा अवधि के दौरान निश्चित संविदा पारिश्रमिक में वृद्धि अथवा संशोधन करने का बंधन नही रहेगा।
34. अपने कार्यों के अतिरिक्त वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सौंपे गये संबंधित दायित्वों का भी निर्वाह करेंगे।
35. निम्नानुसार अवकाश की पात्रता होगी –
    - अ. वर्ष में 13 दिवस का आकस्मिक अवकाश।
    - ब. 1 वर्ष में 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश।
    - स. 1 वर्ष में 3 दिवस का ऐच्छिक अवकाश।
    - द. प्रथम दो जीवित संतानो तक 15 दिवस का पितृत्व अवकाश।
36. विवाद की स्थिति में प्राधिकरण के सक्षम अधिकारी, का निर्णय अंतिम होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण
भोपाल